

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर।

पत्रांक: एस0एस0ए0/क0गा0बा0वि0/नियुक्ति/1366-75 /2023-24 दिनांक: 15 जून 2023

विज्ञापित

महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ एवं निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0: के0जी0बी0वी0/11308/ 2022-23 दिनांक: 14.02.2023 एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0: बे0शि0 अनुभाग-5/1553/68-5-2020 दिनांक: 11 दिसम्बर 2022 के अनुपालन में वर्ष 2023-24 के जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्ण कालिका शिक्षिका, अंशकालिका शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोईया के पदों पर नियुक्ति (संवदि आधारित) हेतु वर्णित अर्हताधारी अभ्यर्थियों के शैक्षिक सत्र 2023-24 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक: 30.06.2023 को अपरान्ह 05:00 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। रिक्त पदों का विवरण एवं पदवार विवरण तथा दिशा-निर्देश <http://balrampur.nic.in> पर भी उपलब्ध है।


| पद का नाम | रिक्त पदों की आरक्षित श्रेणी | | | | योग | विषय एवं न्यूनतम अर्हता | प्रतिमाह मानदेय | आयु गणना (01.04.2023को) | शैक्षिक योग्यता |
|-----------------------|------------------------------|-----------|------------------|-------------|-----|---|-----------------|-------------------------|--|
| | EWS | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुचित जाति | | | | | |
| पूर्ण कालिका शिक्षिका | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत से स्नातक) | 22000-00 | 25-45 वर्ष | प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक) | | | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | विज्ञान (जेड0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक) | | | |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | गणित (पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक) | | | |
| अंश कालिका शिक्षिका | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | कला कापट एवं संगीत/गृह शिल्प (स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि) | 9800.00 | 25-45 वर्ष | प्रशिक्षित स्नातक |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | कम्प्यूटर शिक्षिका (प्रशिक्षित स्नातक) | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा (बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि प्रशिक्षित स्नातक) | | | |
| लेखाकार | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | स्नातक वाणिज्य तथा एम0एस0 आफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य। | 11000.00 | 25-45 वर्ष | टैली पर कार्य करने का ज्ञान |
| मुख्य रसोईया | 1 | - | - | - | 1 | पाक कला का ज्ञान | 6900.00 | 25-45 वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
| योग | 7 | 2 | 2 | 7 | 18 | | | | |

नियम व शर्त:-

1. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

Oct
D.C.W.
B.S.U.

2. कम्प्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/एल0टी0 समकक्ष इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है।
3. कला क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के लिए शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जाएगा।
4. शासनादेश सं0 : 68-5099/37/2023 दिनांक: 20 अप्रैल, 2023 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत रिक्त समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा।
5. मुख्य रसोइया के पद हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 उत्तीर्ण होगी तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोइया पद पूर्ण कालिक है, इनके लिए महिला होना एवं विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। मुख्य रसोइया का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
6. दिनांक 01.04.2023 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हों।
7. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रविधान के अनुसार आरक्षण जनपद स्तर पर देय होगा।
8. सामान्य वर्ग में EWS के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हो, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे हैं, उनके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जायेगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
10. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं उनके द्वारा आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा। अधिकतम भारांक 30 अंक से अधिक देय नहीं होगा। इसके लिए सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश सं0-के0जी0बी0वी0/2-3/1916/2020-21 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
11. भरे हुए आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित संलग्नकों की छायाप्रति सहित पंजीकृत डाक से जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर में दिनांक 30.06.2023 की सायं 05 बजे तक ही स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
12. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप सहित समस्त आवश्यक जानकारियां <http://balrampur.nic.in> पर भी उपलब्ध है। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय तथा समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद-बलरामपुर के सूचना पट्ट पर चरपा है।
13. आवेदक आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42-42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए 02 लिफाफे, जिस पर आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नम्बर व पिन कोड स्पष्ट लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. उक्त सभी नियुक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।
15. उपरोक्त विज्ञप्ति को किसी भी समय यथावश्यकता निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा, जिसपर कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। कार्यालय के पत्र सं0: एस0एस0ए0/के0जी0बी0वी0 नियुक्ति/457-63/2022-23 दिनांक: 26 अप्रैल 2022 द्वारा जारी विज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।
16. अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित/साधारण डाक से प्राप्त/कटिंग/ओवरराइटिंग/निर्धारित प्रारूप से इतर एवं वांछित प्रमाण पत्र संलग्न न होने आदि की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आवेदक का होगा।
17. चयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।



 26-0-0

18. किसी भी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे।
 19. चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्यतः कराया जाएगा। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी प्रमाण पत्र/कागजात के फर्जी/कटू रचित पाए जाने की दशा में सम्बन्धित आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाएगी।
 20. सभी चयनित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मी 11 माह 29 दिन के अनुबंध पर रखे ही जाएंगे। यह अनुबंध कार्य का होगा। इनके कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसको अच्छा पाए जाने पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उनकी संविदा का नवीनीकरण किया जाएगा।
 21. शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्ण कालिका शिक्षिका, अंश कालिक शिक्षिका एवं लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
 22. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- संलग्नक: आवेदन पत्र का प्रारूप।**

(कल्पना देवी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बलरामपुर।

पृ0सं0: उक्तवत्।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलरामपुर।
4. उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बलरामपुर से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को डायट मुख्यालय पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. उप जिलाधिकारी, बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को तहसील मुख्यालय पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बलरामपुर को इस अपेक्षा के साथ कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करने का कष्ट करें।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि प्रकाशित विज्ञप्ति को अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र पर चस्पा करायें।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को <http://balrampur.nic.in> पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. व्यूरो चीफ दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 16.06.2023 के अंक में उक्त विज्ञप्ति को पठनीय व न्यूनतम राजकीय दर पर अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा प्रकाशनोपरान्त भुगतान हेतु पेपर कटिंग के साथ बिल प्रस्तुत करें।
11. कार्यालय प्रति।

74
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र
जनपद-बलरामपुर

स्वप्रमाणित
फोटो

1. आवेदित पद का नाम.....विषय का नाम.....
2. अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों का नाम-(अंग्रेजी के बड़े अक्षर में).....
(हिन्दी में).....
3. जन्मतिथि.....आयु 01.04.2023 को आयु.....वर्षमाह.....दिन.....
4. पिता/पति का नाम.....
5. जाति (सामान्य/अन्य पिछडा जाति/अनु0जाति/अनु0जन0जाति)
6. आधार नम्बर.....
7. पत्राचार का पता
पिन कोडदूरभाष.1.....2.....
8. स्थाई पता.....
पिन कोडदूरभाष.....ई-मेल.....
9. शैक्षिक योग्यता-

| क्र0 सं0 | परीक्षा का नाम | बोर्ड/वि0वि0 का नाम | वर्ष | विषय | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत |
|----------|-----------------------|---------------------|------|------|----------|------------|---------|
| 1 | हाई स्कूल | | | | | | |
| 2 | इण्टरमीडिएट | | | | | | |
| 3 | स्नातक | | | | | | |
| 4 | परास्नातक | | | | | | |
| 5 | प्रशिक्षित स्नातक | | | | | | |
| 6 | टी0ई0टी0(जूनियर स्तर) | | | | | | |
| 7 | अन्य | | | | | | |

10. अनुभव यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा विवरण दें।

घोषणा

मैंएतद्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने विज्ञप्ति में अंकित की गई पात्रता की शर्तें सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं वह मुझे मान्य है। उक्त समस्त शर्तें मैं पूरी करती हूँ। इस आवेदन में दिये गये समस्त विवरण/सूचनाएं सत्य एवं सही है और मेरे द्वारा उल्लिखित सभी तथ्यों/विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। कोई भी तथ्य विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पाये जाने अथवा मेरे द्वारा छिपाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए। यदि संविदा के आधार पर मेरा चयन हो जाने के उपरान्त ऐसे स्थिति प्रकाश में आये तो मेरा अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाये। मेरा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर यदि मेरे संविदा चयन को मध्य सत्र में निरस्त कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और इससे सम्बन्धित किसी भी न्यायालय में वाद आदि दायर नहीं करूंगी। संविदा अनुबन्ध भरे जाने के उपरान्त बीच सत्र में कार्य छोड़ने पर मैं एक माह का पारिश्रमिक मानदेय कार्यालय में जमा कर दूँगी।

संलग्नक:-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पता सहित)